

समाहरणालय, लोहरदगा ।

(जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय)

सरकारी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में घंटी आधारित मानदेय पर शिक्षकों के चयन हेतु विज्ञापन

1. नीति आयोग, भारत सरकार के द्वारा शिक्षा प्रक्षेत्र को Thematic Area के रूप में चिन्हित कर शिक्षा क्षेत्र में गुणात्मक सुधार करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। लोहरदगा जिला के प्राथमिक/मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के कारण वांछित शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है जिसके कारण नीति आयोग के Key Performance Indicator में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रहा है।
2. शिक्षा प्रक्षेत्र के अन्तर्गत उक्त Critical Gap को भरने के लिये एवं लोहरदगा जिला के शैक्षणिक स्थिति में गुणात्मक सुधार हेतु Special Central Assistance योजनामद के अन्तर्गत वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में लोहरदगा जिला के प्राथमिक/मध्य विद्यालयों में विभिन्न विषयों के अन्तर्गत जिला रोस्टर के अनुसार आरक्षण कोटिवार निम्न विवरण के अनुसार 255 अस्थायी शिक्षकों के चयन का निर्णय लिया गया है जिन्हें प्रति घंटी मो0 120.00 (एक सौ बीस) रू0 के दर से घंटी आधारित मानदेय भुगतये होगा –

क्र0स0	विषय	कुल शिक्षकों की आवश्यकता	अनारक्षित	अ0ज0जा0	अ0जा0
1	विज्ञान	86	43	41	02
2	गणित	101	51	47	03
3	समाजिक विज्ञान	39	20	18	01
4	अंग्रेजी (भाषा)	29	15	13	01
	कुल	255	129	119	07

3. उक्त शिक्षकों के चयन हेतु विभिन्न आरक्षण कोटि के सेवानिवृत्त सहायक शिक्षकों, सेवानिवृत्त अन्य कर्मियों एवं शिक्षित बेरोजगार युवकों/युवतियों जो निम्न विवरण के अनुसार शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता धारण करते हैं, से आवेदन दिनांक 18.08.2018 तक आमंत्रित किया जाता है।
4. न्यूनतम शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता –
 - (क) प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के चयन हेतु न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट होगी उच्च शैक्षणिक योग्यता को प्राथमिता दी जायेगी।
 - (ख) मध्य विद्यालयों में शिक्षकों के चयन हेतु न्यूनतम योग्यता संबंधित विषय में स्नातक होगी उच्च शैक्षणिक योग्यता को प्राथमिता दी जायेगी।
 - (ग) आवेदक को प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा।
5. चयन की प्रक्रिया – विज्ञापन के विरुद्ध प्राप्त आवेदन के आधार पर शिक्षकों का चयन उनके शैक्षणिक/ प्रशैक्षणिक योग्यता एवं Walk in Interview के आधार पर किया जायेगा जिसमें अनुभवी आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी।
6. विज्ञापन से संबंधित अन्य शर्तों एवं आवेदन पत्र का प्रारूप www.lohardaga.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

जिला शिक्षा अधीक्षक,
लोहरदगा।

उपायुक्त,
लोहरदगा।

विज्ञापन से संबंधित अन्य शर्तें :-

1. आवेदकों के द्वारा संलग्न विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र पोस्ट ऑफिस के माध्यम से निबंधित अथवा सामान्य डाक से जिला शिक्षा अधीक्षक, लोहरदगा, पाण्डेय गणपत राय भवन, प्रथम तल्ला, समाहरणालय, लोहरदगा के नाम से समर्पित किया जायेगा।
2. आवेदकों के द्वारा स्वअभिप्रमाणित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता/अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र/आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिये अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न किया जायेगा।
3. मॉडल विद्यालय के लिये संबंधित विषय में अंग्रेजी में शिक्षा प्रदान करने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी।
4. लोहरदगा जिले के स्थानीय निवासी एवं आदिम जन -जाति समूह के शिक्षित युवकों/युवतियों को प्राथमिकता दी जाएगी। स्थानीयता हेतु आवासीय प्रमाण पत्र झारखण्ड राज्य के अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए।
5. दिव्यांग अभ्यर्थियों को सिविल सर्जन द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र की स्व:अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
6. Walk in Interview के समय अपना बायोडाटा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
7. उपरोक्त सभी पदों पर चयनित शिक्षकों को प्रतिघंटी मो0 120/- मानदेय का भुगतान किया जायेगा एवं आवंटित विद्यालयों में अधिकतम 25 दिन प्रतिमाह एवं अधिकतम 3 घंटी प्रतिदिन की दर से भुगतेय होगा।
8. विद्यालय खुलने तथा बन्द होने के अवधि तक विद्यालय में रहकर पठन-पाठन कार्य करना अनिवार्य होगा।
9. शिक्षकों का चयन पूर्ण रूप से अस्थायी होगा एवं भविष्य में शिक्षक पद पर स्थायी नियुक्ति के लिये इस आधार पर कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।
10. राज्य सरकार से संबंधित विषयों में स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति के पश्चात् तथा चयनित शिक्षकों के द्वारा असंतोषजनक शैक्षणिक कार्य किये जाने की स्थिति में चयनित शिक्षकों की सेवा किसी भी क्षण समाप्त किया जा सकेगा।
11. प्रकाशित विज्ञापन को वापस लेने एवं रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

जिला शिक्षा अधीक्षक,
लोहरदगा।

उपायुक्त,
लोहरदगा।

ज्ञापांक/लोहरदगा, दिनांक


प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, लोहरदगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि विज्ञप्ति को सभी प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करें।

जिला शिक्षा अधीक्षक,
लोहरदगा।

उपायुक्त,
लोहरदगा।

लोहरदगा जिला के सरकारी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में घंटी आधारित शिक्षक/शिक्षिकाओं हेतु आवेदन पत्र

- 1 आवेदित विद्यालय का नाम :-
- (प्राथमिक / मध्य विद्यालय)
- 2 आवेदित विषय का नाम :-
- 3 आवेदक / आवेदिका का नाम :-
- (देवनागरी लिपि में)
- अंग्रेजी में (In Block Letter) :-
- 4 पिता/पति का नाम :-
- 5 जन्म तिथि :-
- 6 स्थायी पता :-
- 7 पत्राचार का पता :-
- 8 लिंग (√लगाये) :- पुरुष () / स्त्री ()
- 9 आरक्षण कोटि (√लगाये) :- अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/ सामान्य
- 10 जाति :-
- 11 यदि अभ्यर्थी दिव्यांग है, तो दिव्यांगता का प्रकार प्रतिशत
- 12 मोबाईल संख्या :-
- 13 **शैक्षणिक योग्यता**



क्र0	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	संस्थान/ बोर्ड/ महाविद्यालय का नाम	विषय का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	मैट्रिक					
2	इंटरमीडिएट (कला / विज्ञान/ वाणिज्य)					
3	स्नातक (प्रतिष्ठा / सामान्य)					
4	प्रतिष्ठा का विषय					
5	स्नातकोत्तर का विषय					
6	बी0एड0 / द्विवर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण					

क्र0	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	संस्थान / महाविद्यालय का नाम	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत

14 शिक्षण का अनुभव		हिन्दी माध्यम	अंग्रेजी माध्यम
क्र0	संस्था का नाम	पदनाम	कार्यरत (कब से कब तक)

नोट:- उपर्युक्त सभी दस्तावेजो यथा आयु प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यानुभव से संबंधित प्रमाण पत्रों की स्व0 अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

आवेदक का हस्ताक्षर

घोषणा

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिए गए सभी तथ्य/ सूचनाएँ मेरी जानकारी में सही हैं। यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो मेरा चयन रद्द करते हुए मेरे विरुद्ध आवश्यक अनुशासनिक /वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है तथा भुगतये राशि की वसूली की जा सकती है।

स्थान :-

तिथि :-

आवेदक का हस्ताक्षर